न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 03/6/2021

तारीख दायरा : 25.11.2021

उनवान

1. प्रसादी लाल मीना पुत्र स्व0 श्री बत्तूराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. रामफूल मीना पुत्र स्व0 श्री बत्तूराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ जिला अलवर।

.............प्रार्थीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. तहसीलदार साहब रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.............अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)

उपस्थित – श्री दीपक कुमार जैमन एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

दिनांक : 02.09.2022

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी हाल खाता संख्या 502 आराजी खसरा नम्बर 3521/0.60, 3545/1.17 कुल किता 2 रकबा 1.77 है0, खाता संख्या 816 आराजी खसरा नम्बर 3520/0.05, 3522/0.70 कुल किता 2 रकबा 0.75 है0, खाता संख्या 818 आराजी खसरा नम्बर 3535/0.91 है0 वाके ग्राम माचाडी तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है जिस आराजी के प्रार्थीगण जमाबन्दी सम्वत 2074–75 के अनुसार 1/4–1/4 हिस्से के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के पिता बत्तूराम को रामधन व रामकरण के नाम से जाना जाता है किन्तु प्रार्थीगण के समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम बत्तूराम दर्ज है जबकि हाल खाता संख्या 502 व खाता संख्या 816 की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामधन व खाता संख्या 818 की जमाबन्दी में रामकरण दर्ज है जो प्रार्थीगण के दस्तावेजों से मेल नही खाता है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामधन व रामकरण के स्थान पर बत्तूराम दर्ज किया जाना सर्वथा न्यायोचित है। इसी प्रकार उक्त जमाबन्दी में प्रार्थीगण का निवास स्थान भी ग्राम डाबला व डाबला मीणा दर्ज है जबकि

वास्तविकता में प्रार्थीगण ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ जिला अलवर के निवासी है जिसे भी दुरस्त किया जाना आवश्यक है, साथ ही प्रार्थी संख्या 1 का असल नाम प्रसादी लाल मीना है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड बनाते समय कर्मचारियान के द्वारा प्रार्थी संख्या 1 का नाम रामप्रसाद मीना दर्ज कर दिया जिसे दुरस्त कर प्रसादी लाल मीना दर्ज करने का निवेदन किया है। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामधन व रामकरण के स्थान पर बत्तूराम दर्ज करते हुए प्रार्थीगण का निवास ग्राम डाबला व डाबला मीणा के स्थान पर डाबला मेव तहसील राजगढ जिला अलवर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे एवं प्रार्थी का नाम प्रसादी लाल मीना बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया अप्रार्थीगण तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई है। तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ''मुताबिक हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 816 वाके ग्राम माचाडी के भूमि रामप्रसाद, रामफूल पुत्र रामधन जाति मीना सा0 डाबला, खाता संख्या 502 के रामप्रसाद, रामफूल पुत्र रामधन 1/2 हिस्सा जाति मीना सा0 डाबला व खाता संख्या 818 के रामप्रसाद, रामफूल पुत्र रामकरण जाति मीना सा0 डाबला मीणा खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर लोगो से पूछताछ की गई तो उपस्थित ने बताया कि उक्त वर्णित खातेदारान को रामप्रसाद, रामफूल पुत्र रामधन व रामप्रसाद, रामफूल पुत्र रामकरण दोनो नामों से भी गांव में जाना जाता है परन्तु इनके दस्तावेजों में इनके पिता का सही नाम बत्तूराम है। उपस्थित ने बताया कि खातेदार डाबला मेव के रहने वाले है और हाल जमाबन्दी में सा0 डाबला, डाबला मीणा कर रखा है जो उपस्थित के अनुसार गलत है। मुताबिक आधार कार्ड नम्बर 920151039854 के खातेदार रामफूल मीना पुत्र रामधन व रामफूल पुत्र रामकरण मीना का सही नाम रामफूल मीना पुत्र बत्तूराम मीना सा0 डाबला मेव है व खातेदार रामप्रसाद पुत्र रामधन व रामप्रसाद पुत्र रामकरण का सही नाम मुताबिक आधार कार्ड तथा 10वीं की अंक तालिका के सही नाम प्रसादी लाल पुत्र बत्तूराम मीना सा0 डाबला मेव है।

अतः मुताबिक उपस्थित के बताये अनुसार एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार खातेदारों का नाम खाता संख्या 816, 502 में रामप्रसाद पुत्र रामधन व रामफूल पुत्र रामधन सा0 डाबला के बजाय प्रसादी लाल पुत्र बत्तूराम व रामफूल पुत्र बत्तूराम सा0 डाबला मेव एवं खाता संख्या 818 में रामप्रसाद पुत्र रामकरण, रामफूल पुत्र रामकरण जाति मीना सा0 डाबला मीणा के स्थान पर प्रसादी लाल पुत्र बत्तूराम, रामफूल पुत्र बत्तूराम जाति मीना सा0 डाबला मेव शुद्व किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा भी डाबला मेव तहसील राजगढ में खाता संख्या 71, 72, 109 में रामप्रसाद के बनिस्पत प्रसादी लाल एवं वल्दीयत को नवीरा बुद्धा के स्थान बत्तूराम शुद्ध किया गया है एवं खाता संख्या 73 वाके ग्राम डाबला में प्रार्थी रामप्रसाद के बनिस्पत प्रसादी लाल पुत्र बत्तूराम दुरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये।

साक्ष्य में आधार कार्ड की छायाप्रति, अंकतालिका की छायाप्रति व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय की छाया प्रति पेश की है।''

वकील प्रार्थीगण को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2074-75 खाता संख्या 502, 816, 818 वाके ग्राम माचाडी, अंकतालिका, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम बत्तूराम व निवास स्थान ग्राम डाबला मेव तथा प्रार्थी सं0 1 का नाम प्रसादी लाल मीना ही है। इस प्रकार तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थीगण की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामधन व रामकरण के स्थान पर बत्तूराम व निवास स्थान ग्राम डाबला व डाबला मीणा के स्थान पर डाबला मेव तथा प्रार्थी का नाम रामप्रसाद मीना के स्थान पर प्रसादी लाल मीना होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि आराजी हाल खाता संख्या 502 आराजी खसरा नम्बर 3521/0.60, 3545/1.17 कुल किता 2 रकबा 1.77 है0, खाता संख्या 816 आराजी खसरा नम्बर 3520/0.05, 3522/0.70 कुल किता 2 रकबा 0.75 है0, खाता संख्या 818 आराजी खसरा नम्बर 3535/0.91 है0 वाके ग्राम माचाडी तहसील रैणी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामधन व रामकरण के स्थान पर बत्तूराम, प्रार्थीगण के निवास स्थान का नाम डाबला व डाबला मीणा के स्थान पर डाबला मेव तथा प्रार्थी सं0 1 का नाम रामप्रसाद मीना के स्थान पर प्रसादी लाल मीना दर्ज किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.9.22

(अखिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)